

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

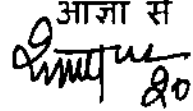
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 857 /2020

दिनांक 20.03.2020

सुश्री विभा आर्य (RJ1064), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली को दिनांक 24.02.2020 से 28.02.2020 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 21.02.2020 से 23.02.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री आर्य की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

20.3.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.2(4)/52/2016/ 1817-

दिनांक 20.03.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 1310 दिनांक 04.03.2020 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री विभा आर्य (RJ1064), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।


20.3.2020
सहायक रजिस्ट्रार